



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275167
CG-DL-E-04082026-275167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4119]
No. 4119]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4295(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.९९७(अ) तारीख २४.०२.२०२६ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६१ (जुना NH २२२) के कि.मी. २३२.००० से कि.मी. २८४.००० (कल्याण से आंध्रप्रदेश बोर्डर रोड सेक्शन) तक के भूखंड में निर्माण (चौड़ाकरण/४- लेन का बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधीन का.आ.९९७(अ) तारीख २४.०२.२०२६ में "लोकमत टाइम्स (अंग्रेजी)" और "दैनिक पुण्यनगरी (मराठी)" दोनों तारीख २४.०३.२०२६ में प्रकाशित किया गया था;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६१ (जुना NH २२२) के कि.मी. २३२.००० से कि.मी. २८४.००० (कल्याण से आंध्रप्रदेश बोर्डर रोड सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: बीड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अष्टि					
गांव का नाम: पिंपळगाव घाट					
1	14/3	निजी	कृषीक	0.1	सिंधुबाई सुखदेव देशमुख, दिलीप देवराव मराठे, सुखदेव लक्ष्मण देशमुख, कान्हू पाटीलबा आठरे, विकास गंगाधर उदमले, अशोक शिवाजी देशमुख, पारूबाई शिवाजी देशमुख, अंबादास शिवाजी देशमुख, छाया अवधूत डोईफोडे, बबन त्रिंबक देशमुख, भिवा आसाराम देशमुख, मधुकर परसराम मुळे, खेमाजी चाफा राठोड 14/3
Total				0.1	

[फा. सं. RW/NH-37014/18/2013-NHDP-IV A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4295(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O.997(E)** dated **24.02.2026** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening /Four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 61 (Old NH**

222) in the stretch of land Km 232.000 to Km 284.000 (Kalyan to Andhra Pradesh Border Road Section) in the District of Beed in the state of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification **S.O.997(E) dated 24.02.2026**, has been published in “**Lokmat Times (English)**” and “**Dainik Punyanagari (Marathi)**” Both Dated **24.03.2026**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling National Highway No. 61 (Old NH 222) in the stretch of land Km 232.000 to Km 284.000 (Kalyan to Andhra Pradesh Border Road Section) in the District of Beed in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: BEED		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ashti					
Village: Pimpalgaon Ghat					
1	14/3	Private	Agriculture	0.1	Sindhubai Sukhdev Deshmukh, Dilip Devrao Marathe, Sukhdev Laxman Deshmukh, Kanhu Patilba Aathre, Vikas Gangadhar Udmale, Ashok Shivaji Deshmukh, Parubai Shivaji Deshmukh, Ambadas Shivaji Deshmukh, Chhaya Avadhoot Doifode, Baban Trimbak Deshmukh, Bhiwa Asaram Deshmukh, Madhukar Parasram Mule, Khemaji Chafa Rathod 14/3
Total				0.1	

[F. No. RW/NH-37014/18/2013-NHDP-IV A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director